

नई शिक्षा नीति और हिन्दी की स्थिति

डॉ. श्रीमति के चन्द्रा

आचार्य, हिन्दी विभाग, स टी एस एन सरकारी महाविद्यालय, कदिरि, आंध्र प्रदेश, भारत

सारांश

भारत के शिक्षा शास्त्री और सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोग बार-बार इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। विद्यालयों में हिन्दी भाषा का अध्ययन अलग-अलग स्तरों पर भिन्न-भिन्न रूपों में होता है। जैसे – मातृभाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। स्वतन्त्रता से पूर्व प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई होती थी। केवल कुछ चुने हुए विद्यालयों में ही अंग्रेजी वैकल्पिक माध्यम के रूप में या फिर पूरे माध्यम के रूप में होती थी। विश्वविद्यालयों में ही अंग्रेजी माध्यम थी। परंतु उस समय आज की तुलना में विद्यार्थी बहुत कम होते थे। हमारे स्वतन्त्रता प्राप्त करते-करते यूरोप, अमेरिका और जापान में विज्ञान एवं टेकनालजी की अप्रत्याशित उन्नति हुई। प्रथम एवं दूसरे विश्वयुद्ध तक एमएनवी डायनामाइट से परमाणु विस्फोटक तक पहुँच गया। तब से बड़े पैमाने पर विविध क्षेत्रीय एवं तकनीकी ज्ञान का विकास होता चला आ रहा है। राष्ट्रनिर्माण की नींव मजबूत करने के लिए हिन्दी को राजभाषा का पद दिया गया था।

मूल शब्द: नई शिक्षा, भाषा, देश के शिक्षा

देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति

आजादी के बाद भारत देश के शिक्षा क्षेत्र में जैसे क्रांति सी आ गई। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये देश का सर्वोत्तम विकास करने के साथ-साथ भारत की अस्मिता को सुदृढ़ करते हुए गणतंत्र की प्रक्रिया में आम लोगों के प्रबुद्ध सहयोग द्वारा, नई राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ और संगत बनाने की, अर्थात् देश का सर्वक्षेत्रीय एवं सर्वस्तरीय आधुनिकीकरण करना, जो कि पाश्चात्य परिभाषा से भिन्न है। और दूसरे विज्ञान और टेकनालजी के आधार पर विकास प्रक्रिया में भी देश की अन्तर्चेतना, परिस्थित, और साधनों के अनुरूप आयोजन करना। हमारी आधुनिकीकरण की कल्पना नई सभ्यता की उपलब्धियों के अनुकूल बनाते हुए मानवीय मूल्यों को पुनरुत्थापित करना है। अभी तो भारतीय अस्मिता व समन्वयी चेतना तथा आधुनिक प्रगति के बीच लगभग द्वंद की स्थिति है, जिस में हमारी भाषाएँ छटपटा रही हैं। अब एक और विकास योजना के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक निरंतर उपलब्ध करना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसी दौरान शिक्षा व्यवस्था में शासन और न्याय के क्षेत्रों में अपनी हिन्दी भाषा को प्रतिष्ठित करना भी आवश्यक है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि साधन और क्षमता का अपेक्षित मात्र में उपयोग नहीं हो रहा है। भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई भी इतना विशाल बहुभाषिक और बहु सांस्कृतिक देश नहीं रहा है। महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हिन्दी को 'श्राष्ट्रभाषा' के नाम से महत्वपूर्ण भूमिका दी। इसी बीच भाषोत्तर प्रांत बने और संविधान में हिन्दी को केंद्र की 'श्राज भाषा' और प्रदेश की संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतन्त्रता के बाद हमारे विधान का यह आदेश है कि 'भारतीय संघ का यह फर्ज होगा कि वह हिन्दी को बढ़ावे और उसका ऐसा विकास करे कि वह भारत कि मिली-जुली संस्कृति के सारे तत्वों के लिए विचारों को जाहिर करने का उपयुक्त माध्यम बन सके। हमें विधान के इस महत्वपूर्ण विशेष आदेश को जहां तक बने, जल्दी ही व्यवहार में लाना है और देखना है कि देश का हर एक पुरुष, स्त्री, और बच्चा राष्ट्रभाषा को समझने और बातचीत करने लायक हो गया है। हिन्दी का बिंब पहले से निश्चित तथा विशेष रूप से अंग्रेजी के मुकाबले में अब वह परस्पर सटते और हटते बिंबों में सामने आने लगा जिसका अर्थ लोग अपने-अपने दृष्टिकोण संस्कारों से लगाने लगे।

हिन्दी विकास के तीन दशक

हिन्दी विकास के मुख्य तीन दशक माने जाते हैं ये विकास के अंश निम्न प्रकार के हैं रु

(1) भाषा (2) पाठ्य सामग्री (3) समस्याएँ और समाधान (4) आगामी वर्षों में परिस्थिति

भाषा

पिछले तीन दशकों में नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हिन्दी के बहुक्षेत्रीय और बहुस्तरीय प्रयोग में काफी विकास हुआ है। आधुनिक तकनीकी संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए तीन लाख से भी अधिक शब्द नियत किए गए हैं, जिनमें लगभग 40 प्रतिशत शब्द अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के लिखितरित रूप हैं। कौन से शब्द अंतर्राष्ट्रीय वर्ण के हैं, इस संबंध में भी देश के वैज्ञानिकों विज्ञान-शिक्षकों और भाषा विदों ने मिलकर ब्योरे सहित अपनी राय बता दी है, जिस के फलस्वरूप आज हम पाठ्य-पुस्तकों और अखबारों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। संकलनात्मक शब्दों को संस्कृत व्याकरण का अनुकूल उपयोग करके और कभी उर्द पारसी की सहायता से व्युत्पन्न किया गया है। स्थायीकरण, अवमूल्यन, अनाक्रमण, संधि, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ज्ञापन, अधिसूचना नितारक-नजरबंदी खातेदार, जमाखोरी, संसद, चुनाव यापिका आदि व्यवहार में प्रचलन शब्दों को भी पारिभाषिक परियोजना के लिए उसी रूप में शामिल किया गया है। जैसे निवासी, तेजी, मीडिया, भाव, कलम, टंका लगाना, घरननादेला, हडताल, ताला वंदी, खाद, मौका दुसूती, हथ करघा, पलास, पंचक्स धम्मन-भही आदि। इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि, हिन्दी विकास के केन्द्रीय स्तर पर किए गए आयोजनों से अन्य भारतीय भाषाओं के विकास को बहुत लाभ ही नहीं पहुँचा वरन् उनकी सक्रियता को सुवियोजित गति मिली है। इस दृष्टि से स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिन्दी ने भारत की बहुभाषिता को परिपोषण देते हुए उसे समन्वयमुखी बनाया है।

कोठरी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की शिफारिशों को वडी ही व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने के लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य की भाषा के लिए एक-एक करोड रुपियाँ और समन्वित रूप से हिन्दी के लिए शर्षोचर करोड रुपियों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में एक-एक प्रांत निर्माण या ग्रंथ अकादमी बोर्ड स्थापित की गई और विपुल विदेशी मुख खर्च

करने लगभग 1500 विदेशी मानक पुस्तकों के कापीरिटिंग प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय आयर्विन, इंजिनियरी और टेक्नोलॉजी जैसे निर्देशालय विषयों पर अपने स्तरों पर कार्य करते रहे। इस बीच समाज विज्ञान, मानविकी आदि विषयों पर निजी प्रकाशकों के भी पुस्तकें प्रकाशित कीं। विश्वविद्यालय से नीचे के स्तर की पुस्तकें हिन्दी में बहत समय से सरकारी और गैर सरकारी तौर पर प्रकाशित होती हैं। आज विश्वविद्यालय में माध्यम परिवर्तनों के लिए अनेक विषयों की 2500 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। ग्रंथ अकादमियों ने ही 1300 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

अद्यतम व्यौरा निर्देशालय और आयोग की रिपोर्ट से प्राप्त हो सकता है कि सारी अपेक्षित पाठ्य- सामग्री एकाएक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हो सकती। और न तो इतनी बड़ी संख्या में हमें लेखक मिल सकते हैं अनुवादक साधनों की भी कमी है। वैज्ञानिक विषयों पर लिखी गई पुस्तकों ने हमारे प्रयासों के सम्मुख एक खर्चीली चुनौती फेंकी है, जो अंत में पुस्तकों को महंगी बना देती है। इन ग्रन्थों के लिए कई तरह के इटालिक टाइप, नए प्रतीकों के टाइप स्वरभेदी चिन्हों के टाइप अर्थात् कई नवीन उत्पादन चाहिए। आयुर्विज्ञान की पुस्तकों में कई रंगों के कुशलता से छापे गये चित्रों की आवश्यकता होती है। हम अनुवाद को नकार नहीं सकते, क्योंकि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की विज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल संस्कृति परस्पर अनुवाद से विकसित हुई है। द्विभाषिक चेतना और मानस व्यापार ने आधुनिक पाश्चात्य विश्व के विविध क्षेत्रीय भाषा प्रयोगों की लोक पर हमारी भाषाओं को प्रवृत्त किया। यह बात आए दिन राजनीतिक बयानों, साहित्य, कला, संस्कृति संबंधी वाद प्रवादों समसामयिक घटना चक्रों के टीकात्मक साप्ताहिकों, विज्ञापनों आदि अनेक भाषा-व्यवहार क्षेत्र में स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसे ही भाषा का आधुनिकीकरण माना जाता है। इसमें से ही शायद हम अपनी अलग पहचान कुछ समय बाद निकाल सकें। इस प्रकार से हम स्पष्ट कह सकते कि शिक्षा के माध्यम से भी हम भाषा के समस्याओं और समाधानों को सुझाव कर सकते हैं।

उपसंहार

हममें से हर एक का फर्ज है कि वह अपनी मातृभाषा का अध्ययन करें, जो हमारे प्रारंभिक शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। लेकिन अपनी प्रादेशिक भाषाओं के विकास के उत्साह और जोश में यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारा आदर्श अपनी इस राष्ट्र-भाषा को समृद्ध बनाने और उसका दर्जा ज्यादा ऊंचा उठाने का होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी की प्रगती रू डॉ. महेन्द्र सिंह राणा, प्र. रामचंद्रमेहरोत्रा दृष्टि 3 -7
2. हिदी भाषा का शिक्षण-भाई योगेन्द्र जीत
3. हिदी भाषा संदर्भ संरचना - सुरज भाण सिंह